फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 97/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/106) **फकरूद्धीन व अन्य बनाम प्यारचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री अभिषेक जी, श्री शाहनवाज खान - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** 1. **फकरूद्धीन पिता फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** 2. **खेरून पुत्री फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** 3. **आमन पुत्री फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** 4. **कनीजा पुत्री फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** 5. **मोहम्मद युसुफ पिता फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** 6. **जाकीर हुसैन पिता फतेह मोहम्मद, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **श्री प्यारचन्द पिता नारायण बारेठ, आंवलहेडा (पाछुन्दा) तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।** 2. **तहसीलदार, बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 27/2013 निर्णय दिनांक 29.06.2015 बउनवानी प्यारचन्द बनाम फतेह मोहम्मद** **निर्णय** दिनांक 12.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 27/2013 निर्णय दिनांक 29.06.2015 बउनवानी प्यारचन्द बनाम फतेह मोहम्मद अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा श्री फतेह मोहम्मद को मौजा ग्राम भवरिया कला पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूं की आराजी संख्या 14 रकबा 5 बीघा लगानी 3.75 पैसा (वर्तमान आराजी न. खैवट खतौनी 108 नया पुराना 105 आराजी न. 147/3 रकबा 1.0760 किस्म बंजड लगानी 4.65 पैसा) भूमि का आवंटन जरिये मिसल संख्या 103/1971 दिनांक 29.05.1971 को किया गया। उक्त भूमि पर श्री प्यारचन्द का कब्जा होकर उपयोग उपभोग होने से एवं फतह मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति बेगूं में नहीं होने से उक्त आवंटन से व्यथित होकर श्री प्यारचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष उक्त आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 पेश किया। • अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 29.06.2015 पारित करते हुए उक्त आवंटन निरस्त करते हुए आवंटी भूमि को विधिवत कब्जे राज लिये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 29.06.2015 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी संलग्न किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 97/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/106) **फकरूद्धीन व अन्य बनाम प्यारचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 06.04.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र नियम 14(4) को पेश किया गया है, वह एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया था। श्री फतेह मोहम्मद की मृत्यु चित्तौड़गढ़ में हुई थी इस कारण मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका चित्तौड़गढ़ से जारी किया गया। उक्त तथ्यों की जानकारी प्यारचन्द को थी फिर भी उसके द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। फतह मोहम्मद की मृत्यु की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आ चुकी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जानकारी को नजरअदांज कर दिया गया और बिना अपीलार्थीगण को कायम मुकाम बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए फतह मोहम्मद को किये विधिवत आवंटन को निरस्त कर दिया। श्री प्यारचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को साबित नहीं कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने माना की आवंटन बेनामी है क्योंकि फतेह मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति बेगूं में नहीं है, जबकि तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि फतेह मोहम्मद बेगूं का निवासी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट को नजरअदांज कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। आवंटित भूमि पर कब्जे के कथनों की जांच नहीं की गई। उक्त भूमि पर फतेह मोहम्मद में विधिक वारिसान अपीलार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त हो जाने से अपीलार्थीगण एक प्रभावी पक्षकार है और अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने हेतु पृथक से धारा-96 जादी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुने बिना पारित किया गया, जिससे उन्हे उक्त निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थीगण आवंटी श्री फतेह मोहम्मद के वारिसान होने का कथन प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश उक्त वारिसान के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी आंवटी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 97/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/106) **फकरूद्वीन व अन्य बनाम प्यारचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.11.2013 को सूचना पत्र/सम्मन जारी किये गये, जिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्मन पर अंकित किया गया कि **"कस्बा बेगूं में जाकर पता किया तो मोतबिरान ने बताया कि प्रार्थी की मृत्यु हो चकी है। मोतबिरान के हस्ताक्षर"**। उक्त अंकन से यह जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री फतह मोहम्मद के फौत होने की स्थिति स्पष्ट थी। अगर श्री फतह मोहम्मद बेगूं का निवासी नहीं होता तो मोतबिरान को उसके फोत होने की जानकारी नहीं होती। ऐसे में तहसीलदार रिपोर्ट में श्री फतेह मोहम्मद के नाम का कोई व्यक्ति बेगूं में नहीं होने प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रावधानोंनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री फतेह मोहम्मद के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जाना था, जो नहीं किये गयें। अभिलेख के अवलोकन से यह कही ज्ञात नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में श्री प्यारचन्द्र प्रत्यर्थी-1 द्वारा इस आशय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें श्री फतेह मोहम्मद के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नहीं करने के संबंध में छुट दी जाए। बिना छुट के अभाव में इस न्यायालय की सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 29.06.2015 अकृत है क्योंकि वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। श्री फतह मोहम्मद की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ के यहा प्रकरण लम्बित रहते हुए प्राप्त हुई, इस कारण उनके विधिक प्रतिनिधिओ को अभिलेख लिया जाना था, जो नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो कानून की निगाह में शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है।**

उल्लेखनीय है कि दौरान बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया। ऐसी स्थिति में एवं उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को श्री फतेह मोहम्मद के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों/राजस्व अभिलेखों इत्यादि पर विचार विश्लेषण उपरान्त नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने बाबत प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह श्री फतेह मोहम्मद के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों/राजस्व अभिलेखों इत्यादि पर विचार विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर